संख्या-188/2018/27/22-2-2018-17(162)/2005

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 26 फरवरी, 2018**

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मोहन सिंह पुत्र श्री विचित्र सिंह, निवासी जनपद-मेरठ की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-45933/प्रोबेशन-3 (एम-21-12-2017) दिनांक-29-12-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 29-12-2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार सिद्धदोष बन्दी मोहन सिंह पुत्र श्री विचित्र सिंह, निवासी-डेरा भगवानपुर खादर वर्तमान तरवियतपुर शुमाली, थाना-किठौर, जनपद-मेरठ का रहने वाला है। जमीन सम्बन्धी पुरानी रंजिश में दिनांक 14-08-1999 को समय 02:30 बजे दोनों पक्षों के मध्य हुए विवाद में बन्दी ने अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ आग्नेयास्त्रों से फायर कर बाज सिंह, लखविन्दर सिंह तथा हरजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1213/1999 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 147, 148, 307/149 व 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-5, मेरठ के आदेश दिनांक 24.05.2001 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील संख्या 1829/2001 योजित की गयी। उक्त अपील में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.08.2002 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 12.05.2017 तक 16 वर्ष 00 माह 24 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 05 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 02 सहअभियुक्त मा0 न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किये गये, 02 सहअभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है तथा 03 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी पुन: अपराध करने में शक्त होने, भविष्य में कोई भी अपराध कर सकने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा भविष्य में कोई भी घटना घटित करने की संभावना होने, बन्दी पुन: अपराध करने में शक्त होने, बन्दी भविष्य में कोई भी अपराध कर सकने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु सामान्य न होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट मेरठ की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 13.10.2017 द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि बन्दी द्वारा जमीन सम्बन्धी पुरानी रंजिश में आग्नेयास्त्रों से फायर कर 03 व्यक्तियों की निर्दयतापूर्वक हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 64 वर्ष 07 माह लगभग है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में पुनः अपराध की संभावना होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, की पुष्टि जनपदीय अधिकारियों द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, समिति एवं 05 बिन्दुओं की आख्या में जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मोहन सिंह पुत्र श्री विचित्र सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी मोहन सिंह (बन्दी संख्या-14792) पुत्र श्री विचित्र सिंह, निवासी जनपद-मेरठ के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-188/2018/27(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्या-188/2018/27@22-2-2018-17(162)/2005

दिनांक 26 फरवरी, 2018 का संलग्नक

सरकार के आदेश

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मोहन सिंह (बन्दी संख्या-14792) पुत्र श्री विचित्र सिंह, निवासी-डेरा भगवानपुर खादर वर्तमान तरवियतपुर शुमाली, थाना-किठौर, जनपद-मेरठ का रहने वाला है। जमीन सम्बन्धी पुरानी रंजिश में दिनांक 14-08-1999 को समय 02:30 बजे दोनों पक्षों के मध्य हुए विवाद में बन्दी ने अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ आग्नेयास्त्रों से फायर कर बाज सिंह, लखविन्दर सिंह तथा हरजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1213/1999 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 147, 148, 307/149 व 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-5, मेरठ के आदेश दिनांक 24.05.2001 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील संख्या 1829/2001 योजित की गयी। उक्त अपील में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.08.2002 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 12.05.2017 तक 16 वर्ष 00 माह 24 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 05 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 02 सहअभियुक्त मा0 न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किये गये, 02 सहअभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है तथा 03 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी पुन: अपराध करने में शक्त होने, भविष्य में कोई भी अपराध कर सकने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा भविष्य में कोई भी घटना घटित करने की संभावना होने, बन्दी पुन: अपराध करने में शक्त होने, बन्दी भविष्य में कोई भी अपराध कर सकने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु सामान्य न होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट मेरठ की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 13.10.2017 द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि बन्दी द्वारा जमीन सम्बन्धी पुरानी रंजिश में आग्नेयास्त्रों से फायर कर 03 व्यक्तियों की निर्दयतापूर्वक हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 64 वर्ष 07 माह लगभग है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में पुन: अपराध की संभावना होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, की पुष्टि जनपदीय अधिकारियों द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, समिति एवं 05 बिन्दुओं की आख्या में जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मोहन सिंह पुत्र श्री विचित्र सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in